न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 29 / 2023
दायर दिनांक : 07 / 07 / 2023
निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2025

उनवान

1 हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. तहसीलदार भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जयसवाल, वकील वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि वादी ग्राम ताणा तहसील भूपालसागर में दर्ज हाल खाता संख्या 523 के हाल आ0न0 1796 1816 1846 1877 कुल किता 4 कुल रकबा 0.83 है0 स्थित है। वादी के पिता उदा की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत से नामांतरण वादी के नाम खोला गया जिसमें वादी के बचपन का नाम लालु को दर्ज कर दिया जो वादी का उपनाम है वादी का जग जाहिर दस्तावेजी नाम हरलाल है। उपरांकित रेवेन्यू रेकार्ड में वादी का नाम लालु रह जाने से वादी उक्त आराजियात हिस्से को आबदान करने आदि से वंचित रहता है इसलिए लालु का नाम हटा वादी का नाम जग जाहिर और प्रचलित वादी नाम हरलाल उर्फ लालु पिता उदा किए जाने की घोषणा के जरिए अंकित किए जाने की प्रार्थना है उक्त अंकन शुद्ध किए जाने से प्रतिवादी को किसी प्रकार का नुकसान नही है प्रतिवादी संख्या 1 रेवेन्यु रेकार्ड अधिकारी है जो कि उक्त इंतकाल कार्यवाही में अधीनस्थ कर्मचारियों ने मेरा नाम सही अंकित नही किया है प्रति0 स0 1 राजस्व अधिकारी होने से इनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व से नोटिस देना होता है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से दफा 80 – 2 नोटिस देकर अलग से स्वीकृति चाही है। यह कि गलत इंद्राज की जानकारी वादी को दिनांक 02.06.2023 को नकले लेने से हुई। जिससे बिनाय वाद कारण उक्त दिनांक से पैदा होकर निरंतर जारी है। वादपत्र के साथ वादी की जमाबंदी हाल, आधार कार्ड आदि की प्रति संलग्न है रेवेन्यु रेकार्ड अंकन शुद्धि की घोषणा की डिकी ग्राम ताणा के हल्के बैरूनी में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में लालु पिता उदा खटीक निवासी ताणा लिखा के बजाय दस्तावेजी नाम हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक खातेदार अंकन किए जाने का आदेश फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल पैरोकार सरकार उपस्थित आऐ। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1298 दिनांक 13.11.2025 प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया कि वादी हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक निवासी ताणा के उक्त मुकदमे में रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम दुरूस्ती बाबत राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजों की जांच की गई वादी के लालू पिता उदा खटीक के नाम से ग्राम ताणा में आ.न.1797 रकबा 0.3700 है0 आ0न0 1816 रकबा 0.1300 है0 आ0न0 1846 रकबा 0.0900 है0 आ0न0 1877 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 4 रकबा 0.8300 है0 भूमि खाते दर्ज है वादी के आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड में नाम हरलाल पिता उदा दर्ज है गांव में वादी को हरलाल एवं लालू दोनो नामों से जाना जाता है अतः वादी के राजस्व रेकार्ड में हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक दर्ज किया जाना उचित है।

वकील वादी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ वाद की चरण सं. 1 में अंकित आराजियात में लालू पिता उदा खटीक निवासी ताणा के बजाय हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक सा. देह अंकित किया जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत जवाब अनुसार निवेदन किया।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, ... का अवलोकन किया। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ... प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन ... के पश्चात वादी प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार सरकार ... पाया है। अतः वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

अंर्तगत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ताणा की हाल खाता सं. 523 के हाल आ.सं. 1797, 1816, 1846, 1877 किता 4 रकबा 0.83 है. भूमि में वादी का नाम हरलाल उर्फ लालू पिता उदा खटीक सा. देह अंकित किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:51 IST
Reason: SelfAttested